



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
 पो.००१०— गुरुकुल कॉन्गड़ी, हरिद्वार— 249 404
website-www.ukpsc.gov.in, E-mail-ukpschdr@gmail.com
Ph. (01334)244143 M0b. (+91) 7060002410

विज्ञापन संख्या :: A-4/E-1/DR(RO)/2016-17

शोध अधिकारी चयन परीक्षा— 2017

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	15 मार्च, 2017
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	::	11 अप्रैल, 2017 (समय रात्रि 11:59:59)
e-challan का प्रिंटआउट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	::	13 अप्रैल, 2017 (सायं 04: 59: 59 बजे तक)
e-challan द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	::	13 अप्रैल, 2017 (बैंक समयावधि में)
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	::	13 अप्रैल, 2017 (समय रात्रि 11:59:59)
ऑनलाइन आवेदन—पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति सहित अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों जमा करने की अंतिम तिथि	::	25 अप्रैल, 2017 के सायं 06:00 बजे तक

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

01. अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षेत्रिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या— 79 /2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस)19532 /2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।
02. आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन एवं सन्निरीक्षा से सम्बन्धित मार्गदर्शिका के अनुसार की जायेगी।
03. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 11 अप्रैल, 2017 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं धारित करना अनिवार्य है।
04. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रिन्टआउट प्रति के साथ विज्ञापन के निर्देशानुसार अनिवार्य अर्हता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों आयोग को **दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के सायं 06:00 बजे तक** डाक से या किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराने आवश्यक हैं। उक्त निर्धारित तिथि व समय तक प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों प्राप्त न होने पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
05. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।
06. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
07. आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भाति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही—सही भरें।
08. प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ई—चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
09. विज्ञापित पद के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।
10. आवेदन करने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र "Submit" बटन को "Click" करने एवं नियत समय तक ई—चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा—शुल्क जमा करने पर ही "Online application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।
11. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
12. अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट—1, पाठ्यक्रम के लिये परिशिष्ट—2 तथा आरक्षण एवं अनुभव हेतु प्रमाण पत्रों के प्रारूप के लिए परिशिष्ट—3 का अवलोकन करें।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु शोध अधिकारी चयन परीक्षा— 2017 का आयोजन किया जायेगा। पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 11 अप्रैल, 2017 तक ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं। लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जायेगा। परीक्षा योजना परिशिष्ट—1, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम परिशिष्ट—2 में वर्णित है।

2. रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :-

वेतनमानः— रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400/-

क्र0सं0	विभाग	पदनाम	रिक्तियां	श्रेणीवार विवरण			
				GEN	SC	ST	OBC
01.	बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय	शोध अधिकारी	02	01	01	00	00

नोट :: (1) रिक्तियों की कुल संख्या 02 हैं। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

03. पद का स्वरूप :- राजपत्रित/नयी पेंशन योजना के अनुसार।

04. (1) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित कम से कम 4 वर्ष का समकक्ष कार्य/शोध अनुभव (लोक वित्त/कर प्रबन्धन में अनुभव धारक को वरीयता) तथा कम्प्यूटर का अनुभव।

(2) अधिमानी अर्हता :- अभ्यर्थी जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो; या

(दो) नेशनल कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

05. आयु :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2017 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2017 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1975 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाए।

06. अधिकतम आयु सीमा में छूट :- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय—समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

07. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी को ही अनुमन्य है। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

08. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

09. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। कुछ निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन के “परिशिष्ट—3” में उल्लिखित हैं।

10. राष्ट्रीयता :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केन्या, यूगांडा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप—महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी :- जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो वह जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

11. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार द्वारा या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति :- पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

13. शारीरिक स्वस्थता :- किसी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे (क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी हो, (ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुरितिका खण्ड-II, भाग-III के अध्याय-III में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

14. आवेदन कैसे करें :- इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं—

ऑन—लाईन आवेदन की तिथि	15 मार्च, 2017 से 11 अप्रैल, 2017 (समय रात्रि 11:59:59)
e-challan का प्रिंटआउट प्राप्त करने की तिथि	17 मार्च, 2017 से 13 अप्रैल, 2017
e-challan से परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि	17 मार्च, 2017 से 13 अप्रैल, 2017 (बँक समयावधि में)
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit card द्वारा जमा करने की तिथि	17 मार्च, 2017 से 13 अप्रैल, 2017 (समय रात्रि 11:59:59)
ऑनलाईन आवेदन की प्रति सहित अनिवार्य अहंता आख्षण इत्यादि से सम्बन्धित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि—	17 मार्च, 2017 से 25 अप्रैल, 2017 सायं 0600 बजे तक।

15. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

(01) अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाएं।

(02) ऑनलाईन आवेदन हेतु RESEARCH OFFICER SELECTION EXAM- 2017 के सम्मुख “[Click Here](#)” पर [Click](#) करें।

(03) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाईन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही—सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(04) ऑनलाईन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में [Reset](#) पर [Click](#) करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरे। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में [Continue](#)

पर **Click** करें।

(05) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समर्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (10 KB से कम न हो तथा 40 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर **JPG Format** (10 KB से कम न हो तथा 20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(06) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर **Click** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।

(07) **आप का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है**, का संदेश प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख ले। इस ऑनलाईन आवेदन की स्वहस्ताक्षरित एक प्रति समर्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ आयोग को प्रेषित करें।

(08) अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन पत्र भरने के 48 घण्टे अर्थात् 02 दिन पश्चात ही अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी www.ukpsc.gov.in पर जायें और "Submit the fee after 48 hours of filling the form" पर क्लिक करें।

(09) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा State Bank Of India (SBI) की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी Net Banking/Debit Card द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। Net Banking/Debit Card के माध्यम से जमा किये गये परीक्षा शुल्क पर सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जैसे भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किये जायेंगे। नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड से शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी **RESEARCH OFFICER ONLINE FEE PAYMENT** पर क्लिक करें। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट अथवा State Bank Of India (SBI) की वेबसाइट से शुल्क जमा करने की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक की वेबसाइट पर **PAYMENT HISTORY** के अन्तर्गत परीक्षा शुल्क जमा हो जाने की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं।

(10) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑन-लाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

16. शुल्क :— परीक्षा शुल्क निम्नवत है :—

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01.	सामान्य	₹0 250/-
02.	अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	₹0 150/-
03.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/पूर्व सैनिक	₹0 100/-

उत्तराखण्ड महिला जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

ऑन-लाईन आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट प्रति के साथ शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों, अनुभव प्रमाण-पत्र इत्यादि की स्वप्रमाणित प्रतियों, लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में शोध अधिकारी चयन परीक्षा— 2017 एवं अनुभाग का नाम— परीक्षा अनुभाग—1 अंकित करते हुए, डाक के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से आयोग कार्यालय को दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के सायं 06:00 बजे तक उपलब्ध कराना आवश्यक है। उक्तानुसार प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

17. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :—

आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** एवं प्रथम संशोधन 2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम प्रक्रिया नियमावली—2012 यथा संशोधित 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) व 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(I) वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु निर्देश:-

(1) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(2) वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(3) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा—

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(4) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियां परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर पत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(5) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(6) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)** :— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँधे अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(7) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाईन प्रवेश-पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। (8) प्रारम्भिक परीक्षा एक क्वालीफाईंग परीक्षा है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेंगे।

(II) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देश :-

(01) वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।

(02) साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(03) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(04) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(05) वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

18. सामान्य निर्देश :-

(01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(02) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(03) परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अहं नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(04) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(06) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(07) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। अनहं सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(08) प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित समस्त प्रमाण—पत्र आमंत्रित किये गये हैं। परीक्षा शुल्क केवल ई—चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(09) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(10) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का समय—समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(11) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को, आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण—पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(13) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित :— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** (प्रथम संशोधन 2016) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(15) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही :— अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें।

यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(16) **परीक्षा भवन में आचरण :-** परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(17) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :-

01. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 02. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 03. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट-रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 04. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 05. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 06. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 07. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 08. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखांचित्र बनाना, अथवा 09. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(18) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण—पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ **परिशिष्ट-3** में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(19) **न्यूनतम अर्हक अंक** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (प्रथम संशोधन-2013, द्वितीय संशोधन-2014, तृतीय संशोधन- 2015 व चतुर्थ संशोधन-2016) के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा—

(जी0एस0 रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-1
शोध अधिकारी चयन परीक्षा— 2017
परीक्षा योजना

क्र०सं०	प्रश्न-पत्र	विषय	पूर्णांक	समय
1.	प्रथम प्रश्न-पत्र (लिखित प्रकृति—वस्तुनिष्ठ प्रकार) First Question Paper (Written Nature-Objective Type)	सामान्य अध्ययन एवं ऐच्छिक विषय General Studies and Optional Subject (भाग—1 सामान्य अध्ययन) (Part-1 General Studies) (भाग—2 ऐच्छिक विषय) (Part-2 Optional Subject)	200 अंक (50) अंक (150) अंक	03 घण्टा
2.	द्वितीय प्रश्न-पत्र (अर्हकारी प्रकृति) Second Question Paper (Qualifying Nature)	कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा Basic Knowledge of Computer Operation Examination	100 अंक	01 घण्टा
3.	साक्षात्कार Interview	—	25 अंक	—

कुल अंक — 225 अंक

नोट :: 01. अभ्यर्थियों को ऑन—लाईन आवेदन में ऐच्छिक विषय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र (विषय कोड— 01) अथवा सांख्यिकी (विषय कोड— 02) में से किसी एक विषय का विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक है।

02. द्वितीय प्रश्न-पत्र कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में अर्हकारी (Qualifying) 40 अंक है। इस प्रश्न-पत्र के अंकों को कुल अंकों में नहीं जोड़ा जायेगा, परन्तु अर्हकारी अंक अर्जित न करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण समझे जायेंगे।

सामान्य अध्ययन एवं ऐच्छिक विषय
(लिखित प्रकृति-वस्तुनिष्ठ प्रकार)
प्रथम प्रश्न-पत्र

कुल प्रश्नों की संख्या : 200

कुल अंक :: 200 समयावधि :: 03 घण्टे

भाग- 1

सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 50

कुल अंक :: 50

01. विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी— यांत्रिकी, ऊर्जा, तंरग गति, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत-धारा, नाभिकीय भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, जीवन विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि, इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी का विकास तथा दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता।

02. भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन भारत के विभिन्न राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, भारत में इस्लाम का आगमन, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का आगमन, शासन सत्ता पर वर्चस्व का संघर्ष, विभिन्न गर्वनर/वायसराय की उपलब्धियां, संवैधानिक विकास एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं समकालीन भारत का इतिहास।

03. भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, भारतीय राज्यतंत्र एवं मानव अधिकार से संबंधित मुद्दे, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संविधान का संघीय स्वरूप एवं केन्द्र व राज्य के मध्य संबंध, संघीय सरकार-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद्, संसद और सर्वोच्च न्यायालय, प्रमुख संवैधानिक संशोधन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, पंचायती राज, लोकनीति, लोक कल्याण, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, प्रमुख संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक निकाय, आयोग एवं संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग, क्षेत्रीय संगठन, भरतीय विदेश नीति व पड़ोसी राष्ट्र, समकालीन विश्व और वर्तमान समस्याएं इत्यादि इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।

04. भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संगठन, भारतीय कृषि, गरीबी एवं बेरोजगारी, व्यापार और वाणिज्य, आयात-निर्यात संतुलन एवं औद्योगिक विकास, भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, केन्द्रीय बजट, मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति, प्रमुख कल्याणकारी अधिनियम, विकास से संबंधित विभिन्न सूचकांक इत्यादि इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।

05. विकास एवं पर्यावरण— जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ग्रामीण एवं नगरीय विकास के विभिन्न आयाम, पर्यावरणीय प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, जैव एवं पर्यावरण संरक्षण कानून।

06. भारत एवं विश्व का भूगोल— प्राकृतिक संसाधन, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक भूगोल का आधारभूत ज्ञान, प्राकृतिक आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन इत्यादि इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।

07. अधुनातन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, खेलकूद, मनोरंजन इत्यादि।

08. उत्तराखण्ड राज्य की शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, मनोरंजन एवं रहन-सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, समाज सुधार आंदोलन, राजनैतिक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी एवं गैर-सरकारी कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनायें, इतिहास, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन तथा महत्वपूर्ण समसामयिक घटनायें।

09. उत्तराखण्ड राज्य में कृषि, उद्योग, व्यापार, आर्थिक (बजट, राजकोषीय नीति इत्यादि) व प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण एवं भूगोल।

10. सामान्य अभिरुचि— शास्त्रिक, अशास्त्रिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसमें सादृश्यों, निगमनिक तर्क, समानताओं तथा अंतरों, अविद्यमान अंक, वर्ण एवं अनुक्रम, स्थानिक कल्यान, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध— कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क, शास्त्रिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, ऑकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण एवं अंकगणितीय संख्या सारणी आदि से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की सामान्य विचार, तथ्य और अंकों, संकेतों और उनमें संबंध, अंकगणितीय एवं संख्यात्मक गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय एवं परिमाणात्मक कार्यों से संबंधित योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न भी पूछे जायेंगे।

भाग-2
ऐच्छिक विषय

- निर्देश ::**
1. अधोलिखित विषयों में से किसी एक विषय का चुनाव कर उसके प्रश्नों के उत्तर अंकित करने होंगे।
 2. प्रत्येक विषय के 150 अंक हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का 01 अंक का होगा।

ECONOMICS (01)

Number of Questions – 150

M.M. 150

1. Micro Economics : Consumer's Behaviour, Law of Demand & Utility Analysis, Indifference Curve Approach, Revealed Preference Approach, Concepts of Elasticity of Demand and supply; Consumer's Surplus, Production Function and the Laws of Returns, Returns to Scale & Producer's Equilibrium. Cost and Revenue functions, Pricing under various forms of market, Perfect, Monopolistic, Monopoly, Oligopoly, Pricing of factors of Production.
2. Macro Economics : National Income; Various Concepts, Measurement and Limitations, Methods of National Income Accounting; Determinants of National Income & Employment-Classical and Keynesian theory of Employment, Macro Theory of Distribution, Classical and Kaldor, Elementary Treatment of General Equilibrium.
3. Economic Growth and Development Meaning and Measurement, Sources of Growth, Population, Human Resource Development, Technology and Capital, Productivity, Harrod and Domar Growth Model, Approach to Development, balanced vs Unbalanced Growth, Big Push Theory, ? Critical Minimum Effort, Unlimited Supply of Labour.
4. Money, Banking and Public Finance : Concept & Functions of Money, Measures of Money Supply (M_1, M_2 & M_3) Quantity Theory of Money – Fisher, Cambridge, Keynesian Fundamental Equations, Inflation – Types, Causes & Classification & Principles of Public Expenditure, Sources, types & Principles of Public Revenue, Impact and Incidence of Taxation, Public Debt.
5. Population Studies: Theories of Population, Malthus Optimum, Demographic Transition, Biological, Ecological Demographic Concepts; Population Pyramid, Density, Sex Ratio, Population Growth Rate Measures of Fertility & Mortality. Life Table, Population and Economic Development, Migration and Urbanization Manpower Planning, Concepts and Strategies, Estimation of Manpower Demand & Manpower Supply Techniques.
6. Indian Economy : Structure and Trends of National Income, Savings & Investment in India Economic Planning in India Strategies, Goals and Achievements, Problems and Features of Indian Agriculture and Industrial Development. Trends in Population Growth, Development of Infrastructure-Problems and Prospects, Liberalization and Globalization of Indian Economy. Recent Changes in Commercial Monetary, Fiscal and Labour Policy.

OR
Statistics (02)

Number of Questions – 150

M.M. 150

1. Probability Theory and Distribution :

Axiomatic definition of Probability, event-field events, Random variable as a measurable function, Probability set function, probability space, Induced probability set function; absolutely continuous, Continuous and Discrete distribution function. Moment generating function and cumulant generating function, mathematical expectation. Baye's theorem and application (without proof) convergence of random variables in Distribution, in Probability and mean convergence, characteristic function, Properties of characteristic function, Khinchin's theorem, Borel-Cantelli lemma, the weak law of large numbers (WLLN), strong law of large numbers, (SLLN) and central limit theorem (CLT).

Univariate Discrete distributions; properties and applications of uniform, Binomial, Poisson, Hypergeometric, Geometric, Negative Binomial and multinomial distribution.

Univariate continuous Distribution; statement, derivation, properties and applications of normal Beta, Gamma, Cauchy, Exponential distribution.

Sampling distribution of t, F and chi-square and their properties.

2. Statistical Inference :

Hypothesis : Simple and composite hypothesis, N P Lemma, UMP and UMPU Test, Likelihood ratio test, distribution function having MLR hypothesis properties.

Estimation ; Properties of estimators- unbiasedness, consistency, sufficiency and efficiency, Maximum likelihood estimator (MLE) and its properties, Method of moments and its properties, Method of least square and its properties, Rao Blackwell theorem, Lehmann-Schlof's theorem, C.R. inequality, Uniformly minimum variance unbiased estimation (UMVUE), BLUE, interval estimation tests based on t, F and chi-square distribution, Large sample test.

3. Sampling theory and Design of Experiment :

Simple random sampling, Stratified sampling, Systematic sampling, Ration and Regression estimation cluster sampling, Double sampling, PPS sampling, Horwitz Thompson estimator, Midzuno Sen sampling scheme.

Analysis of variance for one-way and two-way, General theory of analysis of experimental design; Completely randomized design, Randomized block design and Latin square design, missing plot techniques in RBD and LSD. General factorial experiments; Definition, estimation of factor's effect, Analysis of the factorial experiments using CRD and RBD complete and partial confounding.

Incomplete block designs; balancing, connectedness, orthogonality and resolvability, Balanced Incomplete Block design.

4. Multivariate and Regression Analysis :

Multivariate normal distribution and its properties, Maximum likelihood estimates of parameters, distribution of sample mean vector.

Wishart matrix- its distribution and properties. Hotelling's T₂ statistic – its distribution and properties, Mahalanobis' D₂ Statistics.

Bivariate and multiple linear regression, Linear and non-linear regression models. Multivariate analysis of variance (MANOVA).

5. Time Series Analyses and Non-parametric methods :

Time Series Analysis: Objectives, Decomposition, Randomness, Trend component, measurement of seasonal and cyclic functions, periodogram and Harmonic analysis.

Stationary Time Series : Concepts, Autocorrelation and Correlogram analysis.

Order Statistics analysis – Order Statistics and their application.

Non-parametric methods-one sample location problem, sign test and signed rank test, two sample kolmogorov Smirnov tests, Two sample location and scale problem. Wilcoxon, Mann-Whitney test, normal Scale test, Asymtotic relative efficiency (ARE), linear rank statics, Kruskal-wallis k sample test.

6. Quality Control and Reliability :

Stewart's control charts, 3σ limits ; process and product control, control charts for variable and attributes- x̄ σ and R chart, p and c charts. –

Acceptance sampling – single sampling plan and double sampling plan; O.C., AOQ and A.R.L., A.S.N., consumer and producer's risk.

Reliability : Reliability concepts and measures, components and systems, reliability function, hazard rate, common life distributions viz. exponential, gamma, weibull, lognormal, Rayleigh.

द्वितीय प्रश्न—पत्र (अर्हकारी प्रकृति)
कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा

Microsoft Windows Operating System and Microsoft Office

(अधिकतम अंक : 100, न्यूनतम अर्हकारी अंक – 40, निर्धारित समय : 01 घंटा)

दिये गये पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिन्दु से एक प्रश्न लेते हुए कुल 05 प्रश्न बनाये जायेंगे—

(1) Windows and Internet (2) M.S. - word (3) M.S. - Access (4) M.S. – Excel and (5) M.S.- Power Point. प्रत्येक प्रश्न में 5 क्रियाएं शामिल होंगी, जिसे कम्प्यूटर पर संचालित करना होगा।

प्रत्येक क्रिया हेतु 04 अंक निर्धारित है। आउटपुट का प्रिंट लेकर उसका मूल्यांकन किया जायेगा।

2. साक्षात्कार— 25 अंक

**Syllabus for the Post Research Officer
General Studies and Optional Subject
Research Officer Selection Examination- 2017**

(Written Nature – Objective Type)

First Paper

No. of Questions - 200

Max. Mark : 200 Time Allowed : 03 Hours

Part-1

General Studies

Number of Questions : 50

Max. Mark : 50

- 01.** Science and Technology – mechanics, heat, wave motion, light, sound, electric-current, nuclear physics, astronomy, computer science, life science and medical science, chemistry etc. Current activities in these areas, Developments of Science and Technology and Application of Science in day-to-day life.
- 02.** Indian history and culture, various dynasties and their achievements of ancient India, advent of Islam in India, The Delhi Sultanate and The Mughal Empire, advent of Europeans, the rule of hegemony on power struggles, Achievements of different Governors/Viceroy, Constitutional Development, National Freedom Movement and Contemporary History of India.
- 03.** Basic knowledge of the Indian Constitution, Indian polity and Human Rights Issues, Fundamental Rights and Duties, Directive principles of State policy, federal character of the Constitution and relation between the Union and the State, The union Government-President, Prime Minister, Council of ministers, Parliament and Supreme Court, Important constitutional amendments and decisions of the Supreme Court, Local Self Govt.(Panchayatara), public policy, public welfare, rights related issues, major Constitutional and non-statutory body, Commission and the organization, various parts of the United Nations organization, Regional organizations, Indian foreign policy and neighbouring countries, The contemporary world and current problems etc. Current activities in these areas.
- 04.** Indian economy, National and International banks, financial organizations, Indian agriculture, poverty and unemployment, trade and commerce, import-export balance and industrial development, liberalization, privatization and globalization in India, The Union budget, monetary policy and fiscal policy, Important Welfare Act's, Different Index Related to Development etc. current activities in these areas.
- 05.** Development and Environment- Population, Environment, Urbanization, various dimension of rural and urban development, environmental pollution, health related issues, Bio and Environment Protection Act.
- 06.** Geography of India and the World- natural resources, basic knowledge of theoretical and practical geography, natural disasters and disaster management etc. current activities in these areas.

07. Current events of State, National and International importance, Sports, Entertainment etc.
08. Education, Culture, Sports, Entertainment and Life style, Specific Information regarding Social practices, Social reform movement, Political background and Administrative setup, Governmental and Non-Governmental welfare and developmental schemes, History, Uttrakhand Rajya Nirman Andolan, Important current events of Uttrakhand State.
09. Agriculture, Industry, Business, Economic (Budget, Fiscal policy etc.) and Natural Resources Environment and Geography in Uttrakhand State.
10. Questions of verbal, non-verbal and analytical types consisting of analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters and sequences, space visualization, problem solving, analysis, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship, concepts, direction sense, coding-decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, arithmetical number series. The test would also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationships, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

Part-2

Optional Subject

Direction:- 1. Choose / Select one subject and give answers on the following subjects.
 2. 150 marks of each subject. Each Objective type Question carry 01 mark.

ECONOMICS (01)

Number of Questions – 150

M.M. 150

7. Micro Economics : Consumer's Behaviour, Law of Demand & Utility Analysis, Indifference Curve Approach, Revealed Preference Approach, Concepts of Elasticity of Demand and supply; Consumer's Surplus, Production Function and the Laws of Returns, Returns to Scale & Producer's Equilibrium. Cost and Revenue functions, Pricing under various forms of market, Perfect, Monopolistic, Monopoly, Oligopoly, Pricing of factors of Production.
8. Macro Economics : National Income; Various Concepts, Measurement and Limitations, Methods of National Income Accounting; Determinants of National Income & Employment-Classical and Keynesian theory of Employment, Macro Theory of Distribution, Classical and Kaldor, Elementary Treatment of General Equilibrium.
9. Economic Growth and Development Meaning and Measurement, Sources of Growth, Population, Human Resource Development, Technology and Capital, Productivity, Harrod and Domar Growth Model, Approach to Development, balanced vs Unbalanced Growth, Big Push Theory, ? Critical Minimum Effort, Unlimited Supply of Labour.
10. Money, Banking and Public Finance : Concept & Functions of Money, Measures of Money Supply (M_1, M_2 & M_3) Quantity Theory of Money – Fisher, Cambridge, Keynesian Fundamental Equations, Inflation – Types, Causes & Classification & Principles of Public Expenditure, Sources, types & Principles of Public Revenue, Impact and Incidence of Taxation, Public Debt.
11. Population Studies: Theories of Population, Malthus Optimum, Demographic Transition, Biological, Ecological Demographic Concepts; Population Pyramid, Density, Sex Ratio, Population Growth Rate Measures of Fertility & Mortality. Lie Table, Population and Economic Development, Migration and Urbanization Manpower Planning, Concepts and Strategies, Estimation of Manpower Demand & Manpower Supply Techniques.
12. Indian Economy : Structure and Trends of National Income, Savings & Investment in India Economic Planning in India Strategies, Goals and Achievements, Problems and Features of Indian Agriculture and Industrial Development. Trends in Population Growth, Development of Infrastructure-Problems and Prospects, Liberalization and Globalization of Indian Economy. Recent Changes in Commercial Monetary, Fiscal and Labour Policy.

1. Probability Theory and Distribution :

Axiomatic definition of Probability, e-field events, Random variable as a measurable function, Probability set function, probability space, Induced probability set function; absolutely continuous, Continuous and Discrete distribution function. Moment generating function and cumulant generating function, mathematical expectation. Baye's theorem and application (without proof) convergence of random variables in Distribution, in Probability and mean convergence, characteristic function, Properties of characteristic function, Khinchin's theorem, Borel-contelli lemma, the weak law of large numbers (WLLN), strong law of large numbers, (SLLN) and central limit theorem (CLT).

Univariate Discrete distributions; properties and applications of uniform, Binomial, Poisson, Hypergeometric, Geometric, Negative Binomial and multinomial distribution.

Univariate continuous Distribution; statement, derivation, properties and applications of normal Beta, Gamma, Cauchy, Exponential distribution.

Sampling distribution of t, F and chi-square and their properties.

2. Statistical Inference :

Hypothesis : Simple and composite hypothesis, N P Lemma, UMP and UMPU Test, Likelihood ratio test, distribution function having MLR hypothesis properties.

Estimation ; Properties of estimators- unbiasedness, consistency, sufficiency and efficiency, Maximum likelihood estimator (MLE) and its properties, Method of moments and its properties, Method of least square and its properties, Rao Blackwell theorem, Lehmann-Schlof's theorem, C.R. inequality, Uniformly minimum variance unbiased estimation (UMVUE), BLUE, interval estimation tests based on t, F and chi-square distribution, Large sample test.

3. Sampling theory and Design of Experiment :

Simple random sampling, Stratified sampling, Systematic sampling, Ration and Regression estimation cluster sampling, Double sampling, PPS sampling, Horwitz Thompson estimator, Midzuno Sen sampling scheme.

Analysis of variance for one-way and two-way, General theory of analysis of experimental design; Completely randomized design, Randomized block design and Latin square design, missing plot techniques in RBD and LSD. General factorial experiments; Definition, estimation of factor's effect, Analysis of the factorial experiments using CRD and RBD complete and partial confounding.

Incomplete block designs; balancing, connectedness, orthogonality and resolvability, Balanced Incomplete Block design.

4. Multivariate and Regression Analysis :

Multivariate normal distribution and its properties, Maximum likelihood estimates of parameters, distribution of sample mean vector.

Wishart matrix- its distribution and properties. Hotelling's T₂ statistic – its distribution and properties, Mahalanobis' D₂ Statistics.

Bivariate and multiple linear regression, Linear and non-linear regression models. Multivariate analysis of variance (MANOVA).

5. Time Series Analyses and Non-parametric methods :

Time Series Analysis: Objectives, Decomposition, Randomness, Trend component, measurement of seasonal and cyclic functions, periodogram and Harmonic analysis.

Stationary Time Series : Concepts, Autocorrelation and Correlogram analysis.

Order Statistics analysis – Order Statistics and their application.

Non-parametric methods-one sample location problem, sign test and signed rank test, two sample kolmogorov Smirnov tests, Two sample location and scale problem. Wilcoxon, Mann-Whitney test, normal Scale test, Asymtotic relative efficiency (ARE), linear rank statics, Kruskal-wallis k sample test.

6. Quality Control and Reliability :

Stewart's control charts, 3σ limits ; process and product control, control charts for variable and attributes- x̄ σ and R chart, p and c charts. =

Acceptance sampling – single sampling plan and double sampling plan; O.C., AOQ and A.R.L., A.S.N., consumer and producer's risk.

Reliability : Reliability concepts and measures, components and systems, reliability function, hazard rate, common life distributions viz. exponential, gamma, weibull, lognormal, Rayleigh.

द्वितीय प्रश्न—पत्र (अर्हकारी प्रकृति)

कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा

Microsoft Windows Operating System and Microsoft Office

(अधिकतम अंक : 100, न्यूनतम अर्हकारी अंक – 40, निर्धारित समय : 01 घंटा)

दिये गये पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिन्दु से एक प्रश्न लेते हुए कुल 05 प्रश्न बनाये जायेंगे—

- (1) Windows and Internet (2) M.S. - word (3) M.S. - Access (4) M.S. – Excel and (5) M.S.- Power Point. प्रत्येक प्रश्न में 5 क्रियाएं शामिल होंगी, जिसे कम्प्यूटर पर संचालित करना होगा।

प्रत्येक क्रिया हेतु 04 अंक निर्धारित है। आउटपुट का प्रिंट लेकर उसका मूल्यांकन किया जायेगा।

साक्षात्कार – 25 अंक

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
 तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर
 संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है,
 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका
 परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
 में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला
 मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
 जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण—पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
. तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य
की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य
में प्रभावी है, की अनुसूची—1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची—2 से
अधिसूचना संख्या—22 / 16 / 92—का—2 / 1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से
आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
..... तहसील नगर जिला में
सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला

मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तर
प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के
लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है
और श्री/ श्रीमती/ कुमारी(आश्रित)
पुत्र/ पुत्री/ पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त
श्री/ श्रीमती/ (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम.....
पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी,
(सील)

निःशक्तता प्रमाण—पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या -

तारीख

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के
अध्ययक्ष द्वारा
विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल
का फोटो जो
उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात (फॉलिज)

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

- (i) बी – अंधता
 (ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता
- ग. कम सुनाई देना
 (i) डी–बधिर
 (ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर
- (उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)
2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षा महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *
3. उनके मामले में निश्चितता का प्रतिशत है।
4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं—
- | | |
|--|----------|
| (i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |
| (xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हॉ/ नहीं |

(जा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(जा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(जा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

अधिकारी/

चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा

अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

EXPERIENCE CERTIFICATE FORMAT

Logo of Office (If available)	Name of Deptt./Office : Address of Deptt./Office : Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust : Telephone No : Website:
--------------------------------------	--

Ref. No. –

Date :

This is certify that Shri/Smt./Km. son/Daughter/Husband of
 Shri..... is an employee of this Department/
 Organization/Company/Firm/Society/Institution/Trust and duties performed by him during the period(s) are as under :

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent-Regular/Temporary / Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/ Technical/ Administration / Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch of others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certify that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/University.

Date :

Place

Sign.....

(Name & Signature of Authorized

Signatory in Capital Letters)

Name & Signature of Candidate :

Designation with seal



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

श्रुतलेखक प्रपत्र

परीक्षा का नाम—		परीक्षा तिथि—	
परीक्षा केंद्र का नाम—		कोड—	सत्र— प्रथम / द्वितीय
विषय—		कोड—	प्रश्नपत्र—प्रथम / द्वितीय
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	विकलांगता का पूर्ण विवरण	आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	परीक्षा का स्वरूप (वस्तुनिष्ठ / विवरणात्मक)

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम :

- (क) हिन्दी में : श्री / श्रीमती / कुमारी
- (ख) अंग्रेजी में (In Capital Letters): Mr./Mrs./Miss.....

2. श्रुतलेखक का पूरा नाम :

- (क) हिन्दी में : श्री / श्रीमती / कुमारी
- (ख) अंग्रेजी में (In Capital Letters): Mr./Mrs./Miss.....

3. श्रुतलेखक के पिता का नाम :

परीक्षा या कोर्स का नाम	वर्ष	उत्तीर्ण / अध्ययनरत	श्रेणी / ग्रेड	माध्यम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
1	3	4	5	6	7
हाई स्कूल					
इन्टर					
स्नातक					

4. श्रुतलेखक की जन्म तिथि : / /

5. श्रुतलेखक की शैक्षणिक अर्हता :-

1. श्रुतलेखक का पत्र—व्यवहार का पता (फोन/मोबाइल नम्बर सहित)

.....

.....

2. अभ्यर्थी की घोषणा :- (1) मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर अंकित की गयी समस्त सूचनायें/विवरण पूर्णतया सत्य हैं एवं कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त में कोई भी तथ्य गलत पाया जाए तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए एवं मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

(2) मेरे द्वारा परीक्षा हेतु लाये गए श्रुतलेखक के आचरण एवं व्यवहार की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा परीक्षा केन्द्र में यदि श्रुतलेखक किसी अनुचित साधन के प्रयोग अथवा ऐसे किसी भी कार्य में लिप्त पाया जाता है जो परीक्षा सम्बन्धी किसी नियम का उल्लंघन हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए एवं मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. श्रुतलेखक की घोषणा :- मेरे द्वारा परीक्षा केन्द्र में मर्यादित एवं परीक्षा के नियमों के अनुरूप आचरण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा मुझे समस्त नियमों एवं निर्देशों से अवगत करा दिया गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक..... स्थान.....

श्रुतलेखक के हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक..... स्थान.....